सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

5 आश्विन, 1944 (श०)

संख्या – 476 राँची, मंगलवार, 27 सितम्बर, 2022 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

14 सितम्बर, 2022

संख्या-5/आरोप-1-778/2014 का.- 5779--श्री उमेश प्रसाद सिंह, सेवानिवृत्त झा०प्र०से०, (कोटि क्रमांक-360/03, गृह जिला- नालन्दा), तत्कालीन अनुमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर के विरूद्ध सचिव, खाद्य आपूति एवं वाणिज्य विभाग के पत्रांक-440 दिनांक 05.04.2005 द्वारा प्रपत्र-'क' में आरोप उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरूद्ध निम्न आरोप प्रतिवेदित है :-

1. **समुचित जाँच कराये बिना ही निलंबित अनुज्ञप्ति को निलम्बन से मुक्त करना -** श्री चन्द्रिका पाण्डेय, जन वितरण बिक्रेता की निलम्बन अनुज्ञप्ति को बिना समुचित जाँच कराये ही निलम्बन से मुक्त कर दिया ।

2. **उच्चाधिकारी को भ्रामक एवं गलत तथ्य पर आधारित स्पष्टीकरण देना -** अनुमंडल पदाधिकारी, मेदिनीनगर द्वारा अपने स्पष्टीकरण में अंकित किया गया है कि प्रखण्ड आपूर्ति निरीक्षक, मनातू के द्वारा निलम्बन से मुक्त करने की अनुशंसा की गयी है।

जबकि प्रखण्ड आपूर्ति निरीक्षक, मनातू का दिनांक 18.08.2004 के प्रतिवेदन में उनके द्वारा निलम्बन अनुज्ञप्ति को निलम्बन से मुक्त करने की अनुशंसा नहीं की गयी है। मात्र उचित निर्णय लिया जा सकता है, अंकित किया गया है ।

3. **अनुचित आचरण को उचित प्रमाणित करने के लिए उच्चाधिकारी के समक्ष नियमों की गलत व्याख्या करना-**श्री चन्द्रिका पाण्डेय ने अपने योगदान में लेस मात्र भी आचरण सुधारने की बात नहीं की है। बल्कि श्री पाण्डेय द्वारा कार्ड धारियों के ऊपर ही 5-10 लीटर किरासन तेल माँग करने का आरोप लगाया गया है और कहा गया है कि अधिक मात्रा में किरासन तेल देने से नाराज उपभोक्ताओं द्वारा गलत आरोप लगाया गया है ।

इससे स्पष्ट होता है कि संबंधित जन वितरण बिक्रेता अपने आचरण में सुधार की बात नहीं कह रहा है ।

अतः निलम्बन से मुक्ति का अनुमंडल पदाधिकारी का निर्णय तथ्यों पर आधारित न होकर इनकी स्वेच्छाचारिता का परिचायक है ।

4. **समाज के कमजोर वर्गों के प्रति असंवेदनशीलता -** जन वितरण बिक्रेता कमजोर वर्गों के लाल एवं पीला कार्ड अपने पास रखकर बिना राशन दिये ही वितरण संबंधी वितरण दर्ज करता रहा है तथा अपने इस कुकृत्य को लिखित रूप में स्वीकार भी किया है। ऐसे जन वितरण के बिक्रेता का निलम्बित अनुज्ञप्ति को अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निलम्बन से मुक्त किया जाना एक अनुमंडल पदाधिकारी जैसे महत्व के पद पर आसीन प्रशासनिक पदाधिकारी के कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशून्यता का द्योतक है ।

इन आरोपों के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या-1935 दिनांक 01.04.2008 तथा विभागीय संकल्प संख्या-6201 दिनांक 19.04.2008 (संशोधित) के द्वारा श्री उमेश प्रसाद सिंह के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। संचालन पदाधिकारी के पत्रांक- 117/स्था0 (गो0) दिनांक 24.11.2010 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया ।

समीक्षोपरांत श्री सिंह को आरोप प्रपत्र'क' में प्रतिवेदित आरोपों के संदर्भ में दोषी पाया गया। श्री सिंह के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प सं0-1192, दिनांक 05.03.2011 द्वारा इन्हें निम्नाकिंत दण्ड दिया गया :-

1. चार वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक,

2. प्रोन्नति देय होने पर चार वर्षों तक इन्हे प्रोन्नति के योग्य नहीं समझा जायेगा ।

माननीय उच्च न्यायालय, झारखंड के द्वारा विषयगत वाद संख्या- डब्लू पी० (एस०) 3067/2011 उमेश प्रसाद सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में पारित न्यायादेश दिनांक 21.03.2014 के आलोक में दण्ड संकल्प (विभागीय संकल्प संख्या-1192, दिनांक 05.03.2011) को निरस्त किया गया है एवं संचालित विभागीय कार्यवाही को निरस्त नहीं किया गया है ।

माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड के आदेश के आलोक में विभागीय पत्रांक-6473, दिनांक 25.06.2014 द्वारा श्री सिंह से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी जिसके अनुपालन में इनके पत्र, दिनांक 17.07.2014 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया ।

श्री सिंह के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनसे प्राप्त स्पष्टीकरण, संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड के न्यायादेश के आलोक में श्री सिंह द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर की समीक्षा की गई, जिसमें पाया गया कि श्री सिंह पर स्वेच्छाचारिता, भ्रामक तथ्य प्रस्तुत करने तथा असंवेदनशीलता के आरोप प्रमाणित होते हैं। श्री सिंह के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प सं0-10629, दिनांक 03.11.2014 द्वारा दो वेतनवृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड इनपर अधिरोपित किया गया।

उक्त अधिरोपित दण्ड के विरूद्ध श्री सिंह द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट सं०-W.P.(S)No.839/2015 दायर किया गया है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 07.07.2020 को न्यायादेश पारित किया गया है, जिसका Operative part निम्नवत् है

"Consequently, the impugned order dated 03.11.2014 as contained in Resolution No. 10629 (Annexure-4) is quashed and set aside and the matter is remitted back to the disciplinary authority to pass a fresh order after considering the grounds taken in the reply to the show-cause notice within three months from the date of receipt/production of a copy of this order."

माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में श्री उमेश प्रसाद सिंह के विरूद्ध पेंशन नियमावली के नियम 43(ख) के तहत् कार्रवाई किये जाने के सम्बन्ध में विधि विभाग से मंतव्य की माँग की गयी है, जिसके आलोक में विधि विभाग के माध्यम से विद्वान महाधिवक्ता द्वारा निम्नवत् मंतव्य गठित किया गया है

"Sri Umesh Prasad Singh has already been superannuated from service on 31.01.2016. In view of the order of the Hon'ble Court, the proceeding initiated against Sri Singh will be deemed to be pending on the date of his superannuation.

The proceeding initiated before his retirement may be converted in a proceeding under rule 43(b) of the Jharkhand Pension Rules and appropriate order may be passed after considering his reply to the show cause notice in compliance of the order/direction of the Hon'ble Court."

माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 07.07.2020 को पारित न्यायादेश द्वारा पूर्व में निर्गत संकल्प सं0-10629, दिनांक 03.11.2014 को रद्द करते हुए श्री सिंह द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा में प्रस्तुत बिन्दुवार तथ्यों के समीक्षा/विचार कर नये सिरे से आदेश जारी करने का आदेश दिया गया।

माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 07.07.2020 को पारित आदेश एवं विधि विभाग से प्राप्त मंतव्य के आलोक में मामले की पुनः समीक्षा की गयी। श्री सिंह द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा में प्रस्तुत तथ्य एवं विभागीय समीक्षा निम्नवत् है

<u>आरोप सं0-1 पर द्वितीय कारण पृच्छा में समर्पित तथ्य</u> प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, मनातू द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया था, जिसमें उल्लेख किया गया है कि 26 कार्डधारियों द्वारा श्री चन्द्रीका पाण्डेय, ज०वि०प्र० दुकानदार की अनुज्ञप्ति पुनर्बहाल करने हेतु आवेदन दिया गया था। उक्त कार्डधारियों के अनुसार वे दुकानदार के कार्य से संतुष्ट थे। श्री पाण्डेय द्वारा भी यह कहा गया था कि कि वे सही तरीके से खाद्यान एवं किरासन तेल का वितरण करते रहे हैं एवं आगे भी करते रहेंगे।

दुकानदार द्वारा यह भी प्रतिवेदित है कि कुछ कार्डधारियों द्वारा अवैध तरीके से पाँच से दस लीटर किरासन तेल मांगा जा रहा था, जिसे देने से इनकार करने पर ही इनके विरूद्ध शिकायत की गई है।

प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि "श्री पाण्डेय की अनुज्ञप्ति के संबंध में उचित निर्णय लिया जाय।" श्री सिंह द्वारा उसके आधार पर श्री पाण्डेय की अनुज्ञप्ति को निलंबन मुक्त किया गया। यह कहना गलत है कि प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदन अधूरा एवं असंतोषजनक है। सारे तथ्य प्रतिवेदन में अंकित हैं ।

चूँकि प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन ज०वि०प्र० दुकानदार के विरूद्ध कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई थी, इसलिए जाँच प्रतिवेदन में उचित निर्णय लेने की अनुशंसा को सहमति मानते हुए श्री पाण्डेय की निलंबित अनुज्ञप्ति को बहाल करने का आदेश पारित किया गया ।

<u>समीक्षा-</u> अनुमंडल पदाधिकारी के रूप में आरोपी पदाधिकारी ने एक बार चन्द्रिका पाण्डेय का अनुज्ञप्ति निलंबित किया और पुनः बिना किसी ठोस आधार के निलंबन वापस ले लिया। उपायुक्त के मंतव्य में भी इस बात का उल्लेख है कि आपूर्ति निरीक्षक मनातू ने कोई जाँच प्रतिवेदन नहीं दिया बल्कि निलंबित अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन में लिखित बातें को दुहराया और उचित निर्णय लेने हेतु मंतव्य दिया, जिससे स्पष्ट है कि बिना समुचित जाँच कराये श्री पाण्डेय को निलंबन से मुक्त किया गया ।

<u>आरोप सं०-2 पर द्वितीय कारण पृच्छा में समर्पित तथ्य-</u> अनुमंडल पदाधिकारी के रूप में वे अनुज्ञप्ति पदाधिकारी थे एवं उन्हें 90 दिनों के अंदर निर्णय लेना था। निर्णय लेने के लिए वे स्वतंत्र थे। श्री पाण्डेय, ज०वि०प्र० दुकानदार द्वारा आवेदन में कहा गया था कि वे अब तक खाद्यान एवं किरासन तेल सही तरीके से वितरण करते रहे हैं एवं भविष्य में भी करेंगे। आपूर्त्ति निरीक्षक के प्रतिवेदन के आलोक में ही उनके द्वारा दुकानदार की अनुज्ञप्ति को निलंबन मुक्त किया गया। सारे तथ्य रेकर्ड में अंकित है। उनके द्वारा स्पष्टीकरण में किसी प्रकार भ्रामक एवं गलत तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभिलेख एवं प्रतिवेदन में अंकित तथ्यों के आधार पर ही स्पष्टीकरण समर्पित है ।

<u>समीक्षा-</u> जिला आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा "मात्र उचित निर्णय लिया जा सकता है" को सार्थक अर्थ में लेते हुए निलंबन से मुक्ति को अनुशंसा माना गया है और इसी आधार पर अपने स्पष्टीकरण को भ्रामक एवं गलत तथ्यों पर आधारित नहीं बताया गया है, कार्यवाहक सहायक तथा सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने संचिका में कड़ी चेतावनी के साथ निलंबन से मुक्त करने की अनुशंसा आपूर्ति निरीक्षक के कथित प्रतिवेदन के आधार पर किया, जिसे आरोपी पदाधिकारी द्वारा अनुमोदित कर आदेश निर्गत किया गया ।

<u>आरोप सं०-3 पर द्वितीय कारण पृच्छा में समर्पित तथ्य-</u> 26 कार्डधारियों द्वारा श्री पाण्डेय की अनुज्ञप्ति को निलंबन मुक्त करने हेतु आवेदन दिया गया था, जिसमें उल्लेख किया गया था कि वे दुकानदार श्री पाण्डेय के कार्य से संतुष्ट थे। उसके आधार पर उनके द्वारा अनुज्ञप्ति को निलंबन मुक्त किया गया था। दुकानदार श्री पाण्डेय के वितरण से संतुष्ट होते हुए दुकान को निलंबन मुक्त करने हेतु 27 लाभुकों का समर्पित आवेदन पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के प्रतिवेदन के आलोक में ही अनुज्ञप्ति को नवीकरण/निलंबन मुक्त की गई है। उक्त दुकानदार के विरूद्ध अलग-अलग समय में दो आवेदन पत्र एक समर्थन में एवं एक विरूद्ध प्राप्त था। ऐसे में मात्र एक आवेदन पर कार्रवाई करना एवं दूसरे आवेदन की उपेक्षा करना सही नहीं है ।

समीक्षा- इस संबंध में मानना है कि नियमानुसार 90 दिनों के अंदर निलंबित अनुज्ञप्ति पर निर्णय लिया जाना आवश्यक है, परन्तु तथ्यों आलोक में श्री सिंह सकारात्मक/नकारात्मक दोनों में कोई भी निर्णय लेने में सक्षम थे। जहाँ तक आचरण में सुधार की बात है आपूर्ति निरीक्षक ने अनुज्ञप्तिधारक के आवेदन की बातों को ही दुहराया है। अपनी ओर से न तो कोई जाँच की है और न ही कोई शब्द जोड़ा है। सिवा इसके "तथ्यों के आलोक में उचित निर्णय लिया जा सकता है"। इस मंतव्य को चेतावनी के साथ निलंबन मुक्त करने की अनुशंसा/अनुमोदन कर स्वयं को निर्दोष साबित करने की कोशिश की गई है ।

आरोप सं०-4 पर द्वितीय कारण पृच्छा में समर्पित तथ्य- उनके द्वारा आदेश पारित कर कोई गलत कार्य नहीं किया गया था। यदि उनका आदेश गलत था तो वरीय पदाधिकारी द्वारा आदेश पारित कर उसे निरस्त किया जाना चाहिए था। दुकानदार द्वारा समाज के कमजोर वर्गों के प्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार अपनाये जाने से संबंधित कोई तथ्य रेकर्ड में उपलब्ध नहीं हैं, जिस पर जाँच पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदन देने पर उपेक्षा की गई है एवं तद्नुसार ही उनके द्वारा आदेश पारित है। उनके द्वारा समाज के कमजोर वर्गों के प्रति असंवेदनशीलता का कोई स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं है ।

समीक्षा- इस संबंध में उप निदेशक, कल्याण के प्रतिवेदन तथा अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन से स्पष्ट होता है कि अनुसूचित जाति के लाभुकों के साथ जन वितरण दुकानदार का व्यवहार सही नहीं है और इन्हें रैयान कह कर पुकार रहे थे। उक्त दुकानदार के विरूद्ध अनुसूचित जाति के लोगों में काफी असंतोष है। ऐसे में विक्रेता के निलंबित अनुज्ञप्ति को निलंबन मुक्त करना अनुमंडल पदाधिकारी जैसे वरीय प्रशासनिक पदाधिकारी की कमजोर वर्गों के प्रति संवेदन शून्यता का प्रतीक है।

अतः समीक्षोपरांत, W.P.(S)No.839/2015 उमेश प्रसाद सिंह बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड द्वारा दिनांक-07.07.2020 को पारित न्यायादेश के आलोक में पूर्व में निर्गत विभागीय संकल्प सं॰10629, दिनांक-03.11.2014 को रद्द किया जाता है तथा विभागीय समीक्षा एवं विभागीय जाँच पदाधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर श्री सिंह के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को झारखण्ड पेंशन नियमावली, 2000 के नियम-43(b) में परिवर्तित करते हुए श्री उमेश कुमार सिंह तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, मेदनीनगर (सेवानिवृत्त) के पेंशन से पाँच प्रतिशत की कटौती दो वर्षों तक करने के दण्ड अधिरोपित किया जाता है ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री उमेश प्रसाद सिंह, सेवानिवृत्त झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 476 – 50